(23) 2021/62

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2021 (राजसमन्द डिक्री)

पत्पूलाल पिता शंकरलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. गोवर्धनलाल पिता मोहनलाल जी टांक, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सुखलाल पिता मोहनलाल जी टांक, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. किशनलाल पिता भैरूलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शंकरलाल पिता भैरूलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लेहरीबाई बेवा पिता भैरूलाल जी जाट, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम विलोपित किया गया
6. पुष्पा पुत्री भैरूलाल पत्नी पृथ्वीराज जी जाट, निवासी आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. कंचन पुत्री भैरूलाल पत्नी हीरालाल जी जाट, निवासी पोटला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. रामनारायणी पिता कनकमल जी महाजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

8/1. भगवतीलाल पिता गोवर्धन जी महाजन, निवासी विजयवर्गीय मोहल्ला, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8/2. ओमप्रकाश पिता गोवर्धन जी महाजन, निवासी विजयवर्गीय मोहल्ला, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8/3. जानकीलाल पिता गोवर्धन जी महाजन, निवासी विजयवर्गीय मोहल्ला, रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8/4. पुष्पा पुत्री गोवर्धन जी पत्नी गणपतलाल जी महाजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8/5. पार्वती पुत्री गोवर्धन जी पत्नी नवल किशोर जी महाजन, निवासी नन्दराय, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)

8/6. उमा पुत्री गोवर्धन जी पत्नी चतरर्भुज जी महाजन, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8/7. सन्तोषी पुत्री गो[illegible] जी महाजन, निवासी काकरवा, तहसील कोटली, जिला चित्तौड़गढ़ [illegible]

9. गनी मोहम्मन पिता [illegible] रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

भू.प्र.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

24

10. रहमतिबाई बेवा शफी मोहम्मद मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर, शाखा रेलमगरा जरिये महामंत्री चतरसिंह पिता माधवसिंह जी राजावत, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
12. चतरसिंह पिता माधवसिंह जी राजावत, निवासी राजपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, राजसमन्द (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थन
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
दि. 12.04.2018 प्र. सं. 113/2017

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14

———::———

निर्णय दिनांक 30–1–2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 6 के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की आराजी संख्या 2592 रकबा 35 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम रेलमगरा में स्थित है, जिसके पश्चिम में भैरूलाल के खातेदारी की आराजी नंबर 2591 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा स्थित है, जिसमें से 4 बीघा भूमि भैरूलाल ने प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को विक्रय कर दी है। उक्त आराजी नंबर 2591 के साबिक आराजी नंबर 1844 थे, जिसका माप 4 बीघा 13 बिस्वा था, जिसका परिवर्तित रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ही बनता है, इस प्रकार 12 बिस्वा भूमि अधिक अंकित हो गयी है, जबकि मौके पर खातेदार गत भूमाप अनुसार ही काबिज हैं। इसी प्रकार गत भूमाप के आराजी नंबर 1845 रकबा 68 बीघा 10 बिस्वा के नवीन नंबर 2587 से 2590 रकबा 81 बीघा 10 बिस्वा बनाया गया है, जबकि 88 बीघा 12 बिस्वा बनना चाहिए था। इस प्रकार सेटलमेन्ट के दौरान 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गयी है, जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में आराजी नंबर 2591 में 12 बिस्वा अधिक बढ़ा दिया गया है, जबकि वादी के खात की आराजी नंबर 2592 में कमी कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

25

गयी है, जिसे वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी नंबर 2591 से 12 बिस्वा कम कर आराजी नंबर 2592 के नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी भैरूलाल को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12–04–2018 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–03–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री चावण्ड सिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 व 14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में भैरूलाल पिता प्रताप जी जाट द्वारा आराजी नंबर 2591 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि जरिये दानपत्र दी गयी है, तब से प्रार्थी खातेदार काश्तकार हो गया है, इसके बावजूद प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा वादीगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर वाद डिक्री करवा लिया गया है, जिससे प्रार्थी के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 अनुसार आराजी नंबर 2591 का कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है, जबकि उसके पूर्व आराजी नंबर 1844 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा के गत भूमाप अनुसार रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा ही बनता है। अर्थात आराजी नंबर 2591 में 12 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज हुई है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुए आराजी नंबर 2591 में 12 बिस्वा कम कर आराजी नंबर 2592 में बढ़ाये जाने का आदेश दिया है, जो विधिसम्मत है एवं वाद आराजी से अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

26

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आराजी नंबर 2591 में साबिक के मुकाबले 12 बिस्वा रकबा अधिक दर्ज हो जाने से कमी करते हुए उसे आराजी नंबर 2592 में बढ़ाये जाने का आदेश दिया है। अपीलान्ट/प्रार्थी ने वर्ष 2011 में श्री भैरूलाल पिता प्रताप जी जाट द्वारा अपने पक्ष में रजिस्टर्ड दान पत्र होना बताया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें भैरूलाल पिता प्रताप जी जाट प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संस्थित है, किन्तु उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय इस बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है, जबकि उनकी ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. मेहता अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। हालांकि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु हो गयी, जिस पर उनके वारिसान कायम मुकाम किये जाकर उन्हें नोटिस जारी किये गये, किन्तु उनकी ओर से भी न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी/अपीलान्ट पप्पूलाल प्रतिवादी संख्या 3 भैरूलाल का पोता है तथा भैरूलाल के फुट स्टेप पर आया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात में वह भैरूलाल के हक हिस्से में से ही हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट के आराजी नंबर 2592 में 12 बिस्वा भूमि कम पाये जाने एवं उक्त रकबा भैरूलाल की आराजी नंबर 2591 में जाना मानते हुए भैरूलाल के खाते से 12 बिस्वा कम कर वादी/रेस्पोन्डेन्ट के खाते की आराजी नंबर 2592 में बढ़ाये जाने का आदेश दिया है, जिससे हम प्रार्थी/अपीलान्ट को हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किया जाता है तथा अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–04–2018 यथावत रखी जाती है। निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:25:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner